मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 60/2022

1. बलराम पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. राधेश्याम पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

– – वादीगण

बनाम

1. साहबराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
2. माया पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

– – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 20/02/22

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 की और से श्री कुलदीप धारणीया, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि चक नं. 13 जेड.डब्लयू.डी. के खाता सं. 38 के प.नं. 80/368, 80/369 की कुल 4.175 हैक. मे से 1/12 हिस्सा [illegible] सं. 17 के प.नं. 80/368, 80/369 की कुल 1.240 हैक. मे [illegible] के खाता सं. 24 के प.नं. 83/352, 83/353 कुल [illegible] हिस्सा व चक नं. 12 जेड.डब्लयू.डी. के खाता सं. 15 के प.नं. 81/368, 81/369 की कु[illegible] 0.980 हैक. मे से 1/6 हिस्सा व खाता सं. 14 के प.नं. 82/367, 82/368, 83/367, 83/368 की कुल 15.535

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:28 IST
Reason: SelfAttested

23/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ख. मे से 1/12 हिस्सा का वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है। जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 23/02/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/02/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:28 IST
Reason: SelfAttested